HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5096/2021

1. Chandan Singh S/o Shri Devi Singh, Resident Of Maloni Panwar, Kolari, Dholpur (Rajasthan).
2. Atar Singh S/o Shri Devi Singh, Resident Of Maloni Panwar, Kolari, Dholpur (Rajasthan).
3. Prahlad S/o Shri Devi Singh, Resident Of Maloni Panwar, Kolari, Dholpur (Rajasthan).
4. Pradeep S/o Shri Chandan Singh, Resident Of Maloni Panwar, Kolari, Dholpur (Rajasthan).
5. Sandeep S/o Shri Chandan Singh, Resident Of Maloni Panwar, Kolari, Dholpur (Rajasthan).
6. Rajpal S/o Shri Rasal Singh, Resident Of Maloni Panwar, Kolari, Dholpur (Rajasthan).
7. Vijaypal S/o Shri Rasal Singh, Resident Of Maloni Panwar, Kolari, Dholpur (Rajasthan).
8. Jogendra S/o Shri Nathol Singh, Resident Of Maloni Panwar, Kolari, Dholpur (Rajasthan).
9. Monu S/o Shri Atar Singh, Resident Of Maloni Panwar, Kolari, Dholpur (Rajasthan).

----Accused-Petitioners

Versus

1.State Of Rajasthan, Through PP.

----Respondent

2. Suresh Mehtar S/o Shri Sadau, Resident of Mali Panwar, Kolari, Dholupr. (Rajasthan)

----Complainant-Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Kapil Gupta,
For Respondent(s) : Mr. Riyasat Ali, PP

HON'BLE MR. JUSTICE SATISH KUMAR SHARMA

Order

01/09/2021

याची–अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यह याचिका उनके विरूद्ध पुलिस थाना, कौलारी जिला धौलपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–190/2021 अपराध अंतर्गत धारा 143,341,379,504,506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(s) SC/ST Act की कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना के साथ पेश की गई है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण की दलीलें हैं कि इस मामले में प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट को ज्यों का त्यों मान लेने पर भी धारा 3 एससी एसटी एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है। दो पक्षों के विवाद में याची–अभियुक्तगण को सिर्फ बली का बकरा बनाया जा रहा है। दोनों पक्षों के मध्य दीवानी विवाद विचाराधीन है। याची–अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष हैं। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है, जो अपास्त किये जाने योग्य है एवं तब तक अग्रिम अनुसंधान को स्थगित करते हुए याची–अभियुक्तगण को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

इस स्टेज पर मामले के गुणावगुण पर सूक्ष्मता से विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। एक क्षण के लिये विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण के अनुसार धारा 3 एससी एसटी एक्ट का अपराध बनना नहीं माना जाए तो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा M/s. Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. Vs. State of Maharashtra में प्रतिपादित विधिक स्थिति के अनुरूप इस स्टेज पर प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपास्त किये जाने या अग्रिम अनुसंधान पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। याची–अभियुक्तगण द्वारा उठाये गये तमाम आक्षेप अनुसंधान का विषय है, जिन पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा विचार किया जाना है। अलबत्ता अनुसंधान अधिकारी का यह विधिक दायित्व है कि वह स्वच्छ व निष्पक्ष तरीके से विधि अनुसार अनुसंधान सम्पादित करे। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना न्यायहित में निम्न निर्देश दिये जाते हैं।

1. याची–अभियुक्तगण आज से सात दिन के अंदर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे। वे चाहें तो विधि अनुसार विचार हेतु अभ्यावेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

2. सात दिन के पश्चात अनुसंधान अधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो उन्हें जमानत आदेश (यदि कोई हो तो) के अध्यधीन गिरफ्तार कर सकेगा।

3. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याची–अभियुक्तगण गिरफ्तारी की आशंका होने पर अग्रिम जमानत के लिये आवेदन कर सकेंगे।

4. अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान निष्पक्ष व प्रभावी तरीके से पूर्ण करते हुए संबंधित न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट (चालान/एफ. आर.) पेश की जाएगी, जिस पर विधि अनुसार विचार किया जाएगा।

5. विद्वान लोक अभियोजक आगामी सुनवाई तिथि तक अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट पेश करें।

पत्रावली दिनांक 21.10.2021 को सूचीबद्ध की जाए।

(SATISH KUMAR SHARMA),J

Pradeep Thawani /52

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते